न्यायालय, समाहर्त्ता, खगड़िया।

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश पत्रक–ता0.............................से...

जिला–खगड़िया.............................सा0...,सन्...........................

केस का प्रकारः–बिहार मघनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3
25.05.2017	पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 1833 / सी0आर0 दिनांक 20.05. 2017 द्वारा महेशखूंट थाना काण्ड संख्या–21 / 2017 दिनांक 16.02. 2017धारा–30(ए0) बिहार मघनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अंतर्गत जप्त किये गये बिदेशी शराब–375 एम0एल0 का 24 बोतल, रायॅल स्टेग एवं 180 एम0एल0 का 70 बोतल, ऑफिसर च्वाइस कम्पनी का कुल–33.6 लीटर, जिसमें 2. 57 लीटर विदेशी शराब को जॉच हेतु उत्पाद परीक्षक, बिहार पटना को भेजा गया है। शेष कुल–31.03 लीटर विदशी शराब थाना के मालखाना में रखा हुआ है। थानाध्यक्ष महेशखूट का जप्ती सूची एवं प्रतिवेदन संलग्न है। बिदेशी शराब 375 एम0एल0 का 24 बोतल एवं 180 एम0एल0 का 70 बोतल विदेशी शराब कुल–33.06 लीटर में से जॉच में भेजे गये मात्रा का छोड कर शेष कुल–31.03 लीटर सड़ने गलने की पूर्ण सभावना एवं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकुल असर को लेकर विनष्ट करने की अनुमति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतः उक्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार मघनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा–57 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि महेशखूँट थाना काड संख्या–21 / 2017 में जप्त देशी / विदेशी शराब कुल–31.03 लीटर को अपने देख रेख में नष्ट करें तथा अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करेंगे। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक,खगड़िया / थानाध्यक्ष महेशखूँट / उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय। लेखापित एव संशोधित समाहर्त्ता, खगड़िया। (न्यायालय समाहर्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया (बिहार)) समाहर्त्ता, खगड़िया।	[illegible]